<u>**वित्तीय स्वीकृति**</u>

<u>संख्या-59/2015/2121/52-3-15-बजट(22)/2015</u>

प्रेषक,
श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊ :दिनांक 27 नवम्बर, 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शुल्कप्रतिपूर्ति वितरण हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में। (आयोजनागत)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1966/अ0स0क0नि0/दशमो0छा0/टी0सी0/2015-16 दिनांक 31.08.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में पी0एफ0एम0एस0 साफ्टेयर से तकनीकी कारणों से ट्रान्जेक्शन रिजेक्ट होने के कारण शुल्कप्रतिपूर्ति का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गये छात्र/छात्राओं को शुल्कप्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से रू0 20,00,00,000/- (रू0 बीस करोड़ मात्र) का आय व्ययक प्राविधान कराया गया है।

प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से आय व्ययक में प्राविधानित उपरोक्त धनराशि रू0 20,00,00,000/-(रू0 बीस करोड़ मात्र) निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष सहमति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पात्र छात्र/छात्राओं को शुल्कप्रतिपूर्ति के भुगतान स्वरूप देय धनराशि कोषागार के माध्यम से सीधे उसके बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र माह फरवरी, 2016 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(3) जिन विद्यालयों/मदरसों के विरूद्ध छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति के भुगतान में अनियमितताओं की शिकायत हो उनमें शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि की अनियमितताओं की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुये उन विद्यालयों/मदरसों के छात्र/छात्राओं को शुल्कप्रतिपूर्ति का भुगतान छात्र/छात्राओं का सत्यापन कराकर ही किया जायेगा। यदि फिर भी धनराशि

http://shasanadesh.up.nic.in

के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

(4) धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियमसंग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने सं पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) शुल्कप्रतिपूर्ति के वितरण के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शैक्षिक सत्र 2014-15 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं जिनके पी0एफ0एम0एस0 साफ्टेयर से तकनीकी कारणों से ट्रान्जेक्शन फेल हो जाने के कारण शुल्कप्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं [illegible], को ही शुल्कप्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-3[illegible]-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण-0305-अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं [illegible] [illegible]/जनजाति के विद्यार्थियों के सामान्य विश्वविद्यालय/संस्थाओं में प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति-21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई0-11-1248/[illegible]-15, दिनांक18 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
[illegible]

<u>संख्या-2594(1)/52-3-15-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ [illegible]आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 [illegible] ([illegible] परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 [illegible]

2 [illegible] ([illegible] [illegible]हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 [illegible]

3 मुख्य कोषाधिकारी के[illegible]

4 कोषाधिकारी ज[illegible] [illegible]/वित्त एव[illegible]लेखाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण [illegible] [illegible]0प्र0 [illegible]

5 रजिस्ट्रार उ0प्र0 [illegible] शिक्षा परिषद 704 [illegible]

6 कम्प्यूटर आ[illegible] अल्पसंख्यक कल्याण [illegible]0-3 [illegible] अल्पसंख्यक कल्याण

http://shasanadesh.up.nic.in

विभाग की वेब साइड पर अपल क ने ेतु

7 गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in